



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1248 / 12-1 दिनांक, मसूरी 24-09-2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) - 21.6 किमी०, धनोल्ती-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड़)- 26.30 किमी० कुल 47.90 किमी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑटिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.370 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Reliance Jio, Infocomm Limited को लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/OFC/41591/2019

सन्दर्भ :-
महोदय,

नोडल कार्यालय द्वारा इंगित आनलाईन आपत्ति दिनांक 16-09-2019

प्रश्नगत परियोजना निर्माण पर नोडल कार्यालय द्वारा इंगित आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है:-

आपत्ति :- DFO may clarify, whatever this RoW—right of way—has approved under afc clearance at the time of construction.

निराकरण / आख्या :- प्रश्नगत परियोजना का निर्माण परियोजना में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु तत्समय स्वीकृति प्राप्त चौड़ाई के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे-किनारे किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य मसूरी वन प्रभाग के जौनपुर रेंज अन्तर्गत सुवाखोली-थत्यूड़ पूर्व निर्मित मोटर मार्ग एवं कैम्पटी तथा जौनपुर रेंज के अन्तर्गत अगलाड़-थत्यूड़ मोटर मार्ग के किनारे-किनारे प्रस्तावित है। प्रभाग में प्राप्त अभिलेखों (यथा कार्ययोजना), क्षेत्रीय स्टाफ एवं स्थानीय जनता से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मोटर मार्गों का निर्माण वर्ष 1980 से पूर्व हो चुका है। उक्त मोटर मार्गों से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति का आदेश इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उक्त मोटर मार्गों को प्रदान की गई स्वीकृति एवं RoW (right of way) का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग का विवरण जिसके किनारे-2 प्रश्नगत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है।				अभियुक्ति
	मोटर मार्ग का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	स्वीकृति संख्या व दिनांक	शासनादेश सं०	
1.	सुवाखोली-थत्यूड़ मोटर मार्ग (किमी० 1 से 6 तक)	4.55	शासनादेश सं० 8280 / 14-6-724, दिनांक 1-2-72	-	प्रश्नगत परियोजना का निर्माण स्वीकृत चौड़ाई के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे किया जाना प्रस्तावित है।
2.	सुवाखोली-थत्यूड़ मोटर मार्ग (किमी० 7 से 21 तक)	6.39	शासनादेश सं० 759 / 14-2-524-72, दिनांक 15-6-72	-	
3.	अगलाड़-थत्यूड़ मोटर मार्ग	12.00	अ०मु०अ०ग०सं० 1691 / 11-C(845) दिनांक 17-3-78	-	

सत्यम - सॉल्यूशंस व (क) पेज नं० 152

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1248 / दिनांकित।

प्रतिलिपि - State Co-Ordinating, Reliance Jio, Infocomm Limited, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी०एम०एस०रोड, निरजंनपुर देहरादून को

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

परिशिष्ट 9 (क)
वन भूमि हस्तान्तरण के मामले

हस्तान्तरण का वर्ष	खण्ड तथा कक्षा	हस्तान्तरित क्षेत्रफल (हे०)	अभ्युक्ति
2	3	4	5
1961-62	मोटीधार 5ए मोटीधार 3ए	10.83 0.43	वन विभाग के शांआ०सं० 7153/14-ए-924/80 दिनांक 20/11/81 के अन्तर्गत सांमि०वि०, उ०प्र० को मसूरी टिहरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1964-65	धनौली- 4ए	0.11	वन विभाग के शांआ०सं० 682/14बी दिनांक 8/10/64 के अन्तर्गत सांमि०वि० को धनौली कक्षा 4 तथा देवीदुर्गा 2ए मयन निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1964-65	कैम्पटी 5 ए	0.10	वन विभाग के शांआ०सं० 668/14बी-145(180/64) दिनांक 20/3/65 के अन्तर्गत सिधवाई विभाग उ०प्र० को सोजी सपु नहर निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1965-66	धनौली 1बी धनौली 2बी धनौली 3बी धनौली 5 ए धनौली 6बी	8.61 3.71 13.82 6.95 31.42	वन विभाग के शांआ०सं० 5779/14बी दिनांक 8/9/67 से योजना हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1968-69	इकायना 13	0.21	वन विभाग के शांआ०सं० 28-(1)ए 39-14बी-67 (आ०ए०सं०ए०सं०) दिनांक 18/5/68 के अन्तर्गत सिधवाई विभाग उ०प्र० को हरिया नहर हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1968-69	धनौली 1बी धनौली 2बी धनौली 3बी धनौली 4बी धनौली 6बी	11.96 13.78 15.91 10.12 8.06	वन विभाग के शांआ०सं० 3827/10-14-बी-374/63 दिनांक 15/10/65 तथा आ०दे०सं० 5779/10-14-बी-245/15 दिनांक 8/9/67 के अन्तर्गत उद्यान विभाग उ०प्र० को चम्पा मसूरी फलपट्टी योजना हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1969-70	धनौली 1बी धनौली 2बी धनौली 3बी धनौली 4बी धनौली 6बी	10.75 12.71 9.81 18.73 11.78	वन विभाग के शांआ०सं० 28(1)/78/14-ख-68 दिनांक 21/5/70 के अन्तर्गत चम्पा मसूरी फल पट्टी हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1972-73	मगरा 3ए मगरा 4ए मगरा 5 मगरा 6ए	1.09 1.18 1.10 1.18	वन विभाग के शांआ०सं० 8280/14-6-724 दिनांक 1/2/72 के अन्तर्गत सांमि०वि० उ०प्र० को सुवाखौली धरपूड मोटर मार्ग किमी 1 से 6 निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1972-73	मगरा 1 मगरा 2बी अलमस 3 ए अलमस 4	1.38 1.75 0.98 2.28	वन विभाग के शांआ०सं० 759/14-2-524-72 दिनांक 18/6/72 के अन्तर्गत सांमि०वि० उ०प्र० को सुवाखौली धरपूड मोटर मार्ग (किमी० 7 से 21) निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया।
1975-76	धन्डियाला 4बी	2.62	वन विभाग के शांआ०सं० 6634/14-3-76 दिनांक 15/3/76 के द्वारा लखवाड़ डैम विभाग को लड़क निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1976-77	धन्डियाला 4बी	0.48	वन विभाग के शांआ०सं० 3031/14-3-1976 दिनांक 29/10/76 को लखवाड़ डैम विभाग को टर्नल निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1977-78	धनौली 2ए	0.40	वन विभाग के शांआ०सं० 814/14-3-891/78 दिनांक 11/8/77 के द्वारा पर्यटन विभाग को धनौली में पर्यटन स्थल निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1977-78	मेलगाड़-3 मेल गाड़ 4ए	5.00 7.00	नु०आ०सं० सं० 1691/11-सो(845) दिनांक 17-3-78 के अनुसार मोटर मार्ग हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1978-79	कुना ब्लॉक खैरागाड़ ब्लॉक	2.46 2.22	वन विभाग के शांआ०सं० 2546/14-3-805/78 दिनांक 18/8/78 के द्वारा सिधवाई विभाग को धौलीगाड़ से चकराला मसूरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु।
1978-79	धन्डियाला 4बी	0.85	वन विभाग के शांआ०सं० 7813/14-5-78 दिनांक 12/3/79 द्वारा सिधवाई विभाग को बाड़वाला लखवाड़ मोटर मार्ग पुल निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।
1984-85	बागसारी 3	0.03	वन अनुभाग-3 शांआ०सं० 7053/14-3-828/83 दिनांक 15/1/84 के द्वारा देहरादून पुनर्गठन योजना हेतु जल निगम देहरादून को हस्तान्तरित किया गया।
1986-87	सिल्ला 1बी एन्डी 3 एन्डी 4	1.10 1.70 1.70	वन अनुभाग-3 शांआ०सं० जी० आई० 443/14-3-88 दिनांक 11/12/88 के द्वारा सांमि०वि० धरपूड को बडेथी-मडीगाड़ वन घेरा मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया।